न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा।

वाद संख्या 950 सन 2020

ठा0 केशवदेव जी महाराज बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त मुकदमा वादीगण के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा योजित किया गया है श्रीकृष्ण जन्मभूमि का कुल रकवा 13.37 एकड़ कटरा केशवदेव के नाम से जाना जाता है उक्त स्थान पर भगवान श्रीकृष्ण की प्रकटस्थली है जो कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा संचालित होती है। सन 1669 में क्रूर आकान्ता औरंगजेब द्वारा उक्त सम्पत्ति पर बने मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। जिस स्थान पर मस्जिद बनाई गई थी वह स्थल श्रीकृष्ण भगवान के जन्म का मूल स्थान है जो कि गर्भगृह के नाम से जाना जाता है जिसकी दीवालों पर आज भी शंख, ओम, स्वास्तिक व चक्र के चिन्ह शेषनाग आदि के चिन्ह आज भी बने हुये हैं । वादीगण को हाल ही में जानकारी हुई है कि प्रतिवादीगण उक्त स्थल पर बने उपरोक्त धार्मिक चिन्हों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं उक्त भूमि के सम्बन्ध में पहले भी विभिन्न केस न्यायालयों मे चल चुके हैं जिसमें से एक मुकदमा सन 1920 रायकिशनदास में भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रुप से निर्णय दिया था कि यह सम्पत्ति हिन्दू पक्षकारों की है और ईदगाह परिसर में कभी भी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी लेकिन विगत कुछ दिनों से प्रतिवादीगण जानबूझकर बिला अधिकार

WWW.LIVELAW.IN

पॉचों समय की नमाज पढने लगे हैं जो कि कानूनन पूर्णतः वर्जित है। कुरान की आयतों के मुताबिक भी विवादित भूमि पर नमाज नहीं पढने की मान्यता है लेकिन प्रतिवादीगण जानबूझकर साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं तथा मुख्य सड़क पर भी नमाज अदा करने का प्रयास करते हैं जिससे आवागमन तो प्रभावित होता है लेकिन वे दोनों समुदायों के मध्य में शांतिभंग करना चाहते हैं इस कारण उपरोक्त स्थल पर नमाज अदा करने से प्रतिवादीगण को रोका जाना जनहित एवं न्यायहित में परम आवश्यक है।

WWW.LIVELAW.IN

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को वर्जित किया जावे कि वे प्रश्नगत सम्पत्ति कथित शाही ईदगाह परिसर में याकि सड़क पर नमाज अदा करने से याकि आवागमन में अवरोध पैदा करने से याकि साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से बाज एवं ममनूह रहें।

दिनांक 15-12-2021

प्रार्थी / वादीगण

द्वारा- अधिवक्ता

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
एडवोकेट
सिविल कोर्ट
मथुरा

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा।

वाद संख्या 950 सन 2020

ठा0 केशवदेव जी महाराज बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा।

शपथपत्र मिनजानिव श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह एडवोकेट उम्र करीब 50 साल पुत्र श्री सन्या सिंह निवासी 19 तेज नगर महोली रोड़ मथुरा।

शपथकर्ता शपथपूर्वक धर्म से निम्न ब्यान करता है–

1– यहकि शपथकर्ता उपरोक्त मुकदमा का वादी है तथा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्याय का अध्यक्ष है तथा इस शपथपत्र व मुकदमा के तथ्यों से जानकार व वाकिफ है।

2– यहकि उपरोक्त मुकदमा वादीगण के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा योजित किया गया है श्रीकृष्ण जन्मभूमि का कुल रकवा 13.37 एकड़ कटरा केशवदेव के नाम से जाना जाता है उक्त स्थान पर भगवान श्रीकृष्ण की प्रकटस्थली है जो कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा संचालित होती है। सन 1669 में क्रूर आक्रान्ता औरंगजेब द्वारा उक्त सम्पत्ति पर बने मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। जिस स्थान पर मस्जिद बनाई गई थी वह स्थल श्रीकृष्ण भगवान के जन्म का मूल स्थान है जो कि गर्भगृह के नाम से जाना जाता है जिसकी दीवालों पर आज भी शंख, ओम, स्वास्तिक व चक के चिन्ह शेषनाग आदि के चिन्ह आज भी बने हुये हैं । वादीगण को हाल ही में जानकारी हुई है कि प्रतिवादीगण उक्त स्थल पर बने उपरोक्त धार्मिक चिन्हों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं उक्त भूमि के सम्बन्ध में पहले भी

WWW.LIVELAW.IN

विभिन्न केस न्यायालयों मे चल चुके हैं जिसमें से एक मुकदमा सन 1920 रायकिशनदास में भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रुप से निर्णय दिया था कि यह सम्पत्ति हिन्दू पक्षकारों की है और ईदगाह परिसर में कभी भी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी लेकिन विगत कुछ दिनों से प्रतिवादीगण जानबूझकर बिला अधिकार पॉचों समय की नमाज पढने लगे हैं जो कि कानूनन पूर्णतः वर्जित है। कुरान की आयतों के मुताबिक भी

WWW.LIVELAW.IN

विवादित भूमि पर नमाज नहीं पढने की मान्यता है लेकिन प्रतिवादीगण जानबूझकर साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं तथा मुख्य सड़क पर भी नमाज अदा करने का प्रयास करते हैं जिससे आवागमन तो प्रभावित होता है लेकिन वे दोनों समुदायों के मध्य में शांतिभंग करना चाहते हैं इस कारण उपरोक्त स्थल पर नमाज अदा करने से प्रतिवादीगण को रोका जाना जनहित एवं न्यायहित में परम आवश्यक है।

3– यह कि इस शपथपत्र की मद संख्या 1 व 2 का ज्ञान मेरी जातीय जानकारी से सत्य एवं सही है कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है ईश्वर मेरा साक्षी है तसदीक आज दिनांक 15–12–2021 वमुकाम मथुरा की गयी।

शपथकर्ता